निगरानी / टी.ए. / 4054 / 2023 / गंगानगर
राजीव कुमार बनाम चम्पारानी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकल पीठ श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य उपस्थित– श्री प्रदीप विश्नोई, अभिभाषक प्रार्थी श्री प्रशान्त सोनी, अभिभाषक अप्रार्थी दिनांक : 05–12–2024 निर्णय यह निगरानी राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण सं. 35 / 2021 में पारित आदेश दिनांक 07–06–2023 के विरूद्ध धारा 230 सपठित धारा 221 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत पेश की गई है। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी पदमपुर द्वारा अप्रार्थी सं. 1 से 4 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को स्वीकार किये जाने के निर्णय दिनांक 19–01–2021 के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष अपील पेश कर निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने मु0नं0 48 के कि0नं0 1 में रास्ता स्वीकृत करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया एवं अपीलांट को बिना कोई मुआवजा दिये विधि विरूद्ध आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा अपीलांट के अपील में उठाये गये बिन्दुओं को स्वीकार करने के बावजूद अपने अंतिम निर्णय में प्रकरण प्रतिप्रेषित करने के साथ–साथ अधीनस्थ न्यायालय को गुणावगुण पर नये सिरे से निर्णय पारित करने के बजाय यह निर्देश दिये कि अधीनस्थ न्यायालय धारा 251ए के तहत रास्ता स्वीकृत कर यदि अपीलांट रास्ते के बदले भूमि देने हेतु सहमत हो तो भूमि अन्यथा डीएलसी की दोगुनी दर से राशि प्रतिकर के रूप में	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जमा करने के आदेश दिये जावें। उनका तर्क है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि रेस्पो0 को स्वीकृतशुदा रास्ता की एवज में न तो अपीलांट को पक्षकार बनाया गया तथा न ही कोई मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध व एकतरफा होने से निरस्तनीय है। किन्तु दूसरी तरफ उसी रास्ते को स्वीकार करने के भी आदेश अधीनस्थ न्यायालय को प्रदान कर दिये। जबकि प्रार्थी को जब अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकार बनाकर नये सिरे से सुनवाई का अवसर प्रदान किया जायेगा तो वह अपने पक्ष में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अधिकारी है तथा उसकी उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तलब करने व उस पर आपत्ति का विधिक अधिकार प्रार्थी को प्राप्त है। उनका यह भी तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियम 69 की पालना भी नहीं की गई, जो आज्ञापक है। नियम 69 के तहत पक्षकारों की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तलब की जाती है और तत्पश्चात उस पर आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है एवं तत्पश्चात न्यायालय वैकल्पिक रास्ते का अभाव साबित होने पर भी रास्ता मंजूर करने का अधिकारी होता है। इस प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस आधार पर विचारण न्यायालय का निर्णय नियम 69 की पालना नहीं करने पर निरस्तनीय था और नये सिरे से सभी पक्षकारों को सुनकर उनकी उपस्थिति में रिपोर्ट तलब कर वैकल्पिक रास्ते के संबंध में आपत्तियों का निस्तारण गुणावगुण पर नये सिरे से निर्णय पारित करने के निर्देश दिये जाने चाहिए थे किन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने प्रार्थी को सुनने के तो आदेश प्रदान कर दिये किन्तु दूसरी तरफ उसी आधार पर पुराने प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का आदेश भी दे दिया जबकि प्रकरण रिमाण्ड होने पर अधीनस्थ न्यायालय को स्वतन्त्र तौर पर निर्णय पारित करना चाहिए। इस आधार पर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अतः	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	यह निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07–06–2023 में दिये गये निर्देश 'अधीनस्थ न्यायालय उभय पक्ष को सुनकर रास्ता स्वीकृत कर यदि अपीलान्ट रास्ते के बदले भूमि देने हेतु सहमत हो तो भूमि अन्यथा डीएलसी की दोगुनी दर से राशि प्रतिकर के रूप में जमा करने के आदेश दिये जावे' को निरस्त करते हुए शेष निर्णय यथावत रखते हुए प्रार्थी को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्रकरण नये सिरे से गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदमपुर को प्रतिप्रेषित किये जाने के आदेश दिये जावें। अभिभाषक अप्रार्थी ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07–06–2023 को समुचित बताते हुए निगरानी सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया। बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित आदेश दिनांक 07–06–2023 द्वारा अपीलांट / प्रार्थी की अपील को स्वीकार करते हुए प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया है। प्रार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से यह तर्क है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि रेस्पो0 को स्वीकृतशुदा रास्ता की एवज में न तो अपीलांट को पक्षकार बनाया गया तथा न ही कोई मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है किन्तु दूसरी तरफ उसी रास्ते को स्वीकार करने के भी आदेश अधीनस्थ न्यायालय को प्रदान कर दिये। जब प्रार्थी को विचारण न्यायालय द्वारा पक्षकार बनाकर नये सिरे से सुनवाई का अवसर प्रदान किया जायेगा तो वह अपने पक्ष में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अधिकारी है तथा उसकी उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तलब करने व उस पर आपत्ति करने का विधिक	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अधिकार प्रार्थी को प्राप्त है। इसके अलावा विचारण न्यायालय द्वारा नियम 69 की पालना भी नहीं की गई, जो आज्ञापक है। बहस पर मनन करने एवं प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के मध्यनजर हम नियम 69 की पालना में उभय पक्षकारान की उपस्थिति में पुनः मौका रिपोर्ट तैयार कर मंगवाये जाने हेतु विचारण न्यायालय को निर्देशित करना उचित समझते हैं। अतः यह निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07–06–2023 को इस हद तक कि ''उभय पक्ष को सुनकर 251क के अन्तर्गत रास्ता स्वीकृत कर यदि अपीलान्ट रास्ते के बदले भूमि हेतु सहमत हो तो भूमि अथवा डीएलसी के दुगना दर से राशि प्रतिकर के रूप में जमा करने के आदेश दिये जावे'' निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि नियम 69 की पालना में उभय पक्षकारान की उपस्थिति में पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाकर उभय पक्षकारान को सुनकर पुनः नये सिरे से गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। तहत का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। (भवानी सिंह पालावत) सदस्य	